(2)

न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :– 143 / 19–20

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा – 46)

1. रामदेव बैठा वो 2. बासुदेव बैठा वो 3. टिमु बैठा – विक्रेता

सुधा देवी – क्रेता

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
08.02.20	**आदेश** (पाठ नीचे)	

आदेश

आवेदक 1. रामदेव बैठा वो 2. बासुदेव बैठा वो 3. टिमु बैठा तीनों पिता स्व0 खुदी बैठा ग्राम–लोधमा, पोस्ट–लोधमा, थाना कर्रा, जिला खूँटी ने सुधा देवी पति श्री छटू बैठा ग्राम–लोधमा, पोस्ट–लोधमा, थाना कर्रा, जिला खूँटी के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतू आवेदन पत्र दिया है।

ग्राम	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा सं0	रकवा (एकड़ में)
लोधमा	162	55	329	0.20

उभय पक्ष अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए खतियान/आवासीय प्रमाणपत्र/जाति प्रमाणपत्र एवं लगान की रसीद सं0 0806631709 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। अंचल अधिकारी, कर्रा के पत्रांक 1134 दिनांक 15.10.19 से जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि खतियानी है। खतियानी रैयत का नाम नारायण धोबी वगैरह हैं। पंजी II के अनुसार पुरन धोबी वगैरह के नाम भूमि का रकवा 2.20 एकड़ है। आवेदक के पास कुल रकवा 4.77 एकड़ भूमि है। मालगुजारी का भुगतान वित्तीय वर्ष 2019–20 तक किया गया है। भूमि का न्यूनतम प्रस्तावित दर 15021.00(पन्दरह हजार ऐकीस)रू0 प्रति डीसमिल है। इस भूमि के विक्रय में आवेदक के हिस्सेदारों की कोई आपत्ति नहीं है। भूमि विक्रय के बाद आवेदक के पास भूमि अवशेष 2.60 एकड़ रह जाती है। इस प्रकार आवेदक भूमिहीन नहीं होते हैं।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही जिला खूँटी के निवासी हैं एंव एक ही जाति (अनुसूचित जाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे की है। जिसे मकान बनाने हेतु बिक्री करना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि गैर मजरूआ आम, खास, मन्दिर, मस्जिद, भूईहरी, पहनाई, कैसरेहिन्द, भूहदबन्दी एवं खुटकटी के दायरे में नहीं है। अंचल अधिकारी, कर्रा ने क्रेता–विक्रेता को भूमि क्रय–विक्रय करने हेतु अनुशंसा किये हैं।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सुनने प्रस्तुत कागजात एवं अंचल अधिकारी, कर्रा से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन एवं किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण 1. रामदेव बैठा वो 2. बासुदेव बैठा वो 3. टिमु बैठा तीनों पिता स्व0 खुदी बैठा को सुधा देवी पति श्री छटू बैठा के साथ ग्राम लोधमा के खाता सं0 162 खेसरा संख्या 55 कुल रकबा 0.20 एकड़ भूमि न्यूनतम प्रस्तावित दर 15021.00(पन्दरह हजार ऐकीस))रूपये प्रति डिसमिल या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, कर्रा के अनुशंसा के आधार पर भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।

लेखापित एवं संशोधित

08/02/20

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।

08/02/20

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।